अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 12 पर अनुच्छेद 1.8, पृष्ठ संख्या 14 पर अनुच्छेद 1.9 एवं पृष्ठ संख्या 19 पर अनुच्छेद 1.13 में संदर्भित)

लेखों को अंतिम रूप दिये जाने वाले नवीनतम वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	गतिविधि एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य[1]	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ.	**उत्पादन**								
1	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
3	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-164.31	-324.13	-49.00	370.05	-659.62	-894.72	-1264.77
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	3236.65	138.42	14487.45	10067.95	45737.00	5682.96	-4382.81
5	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2018-19	20.73	17.16	102.79	12.94	185.18	185.18	172.24
	गतिविधि-वार योग		**3093.07**	**-168.55**	**14541.24**	**10451.04**	**45262.58**	**4973.44**	**-5475.42**
ब.	**प्रसारण**								
6	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-0.27	-0.27	0.00	0.05	-9.57	-9.57	-9.62
7	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-0.02	-1.80	0.00	0.05	-17.05	-17.05	-17.10
8	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2018-19	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	-2.05
9	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	913.55	-127.99	2815.14	4441.04	14379.45	3171.76	-1269.28
	गतिविधि-वार योग		**913.26**	**-130.06**	**2815.14**	**4443.19**	**14352.83**	**3145.14**	**-1298.05**
स.	**वितरण**								
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2981.12	466.82	12355.47	10018.03	-2084.25	-19000.52	-29018.55
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	4080.54	906.09	17213.81	10783.47	-1654.58	-20277.18	-31060.49
12	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	4000.40	1233.76	13396.52	9954.57	-3873.42	-19820.20	-29774.77
	गतिविधि-वार योग		**11062.06**	**2606.67**	**42965.80**	**30756.07**	**-7612.25**	**-59097.90**	**-89853.81**
द.	**अन्य**								
13	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक	2018-19	13.94	10.94	20.06	0.05	30.21	30.21	30.16

1 निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष घटायें संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग होता है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रकरण में निवल मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रमशः ₹ 2.18 करोड़ एवं ₹ 0.16 करोड़ की डीआरई घटाई गई।

क्र. सं.	गतिविधि एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य[1]	संचित लाभ/ हानि
	कम्पनी)								
14	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	0.02	0.00	13.22	50.00	50.00	50.00	0.00
15	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.03	-0.02
	गतिविधि-वार योग		**13.96**	**10.94**	**33.28**	**50.10**	**80.24**	**80.24**	**30.14**
	कुल योग		**15082.35**	**2319.00**	**60355.46**	**45700.40**	**52083.40**	**-50899.08**	**-96597.14**

अनुबंध–2

(पृष्ठ संख्या 17 पर अनुच्छेद संख्या 1.12 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एवीवीएनएल			जेवीवीएनएल			जेडिवीवीएनएल			आरवीपीएनएल	आरवीयूएनएल	आरआरईसीएल	आरयूवीएनएल	आरआरवीवीवीएनएल	कुल		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल
2000-01	150.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	-465.99	432.72	3.65	0.00	0.00	380.38*	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
2002-03	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	209.00	6.43	0.00	0.00	338.43	0.00	0.00
2003-04	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	159.00	0.76	0.00	0.00	282.76	0.00	0.00
2004-05	57.00		0.00	60.00		0.00	55.00		0.00	56.00	120.00	2.00	0.00	0.00	350.00		0.00
2005-06	75.50	118.70	0.00	80.00	131.97	0.00	74.00	99.33	0.00	70.00	331.00	0.10	0.00	0.00	630.60	350.00	0.00
2006-07	83.00	51.75	0.00	88.00	55.50	0.00	81.00	42.75	0.00	90.00	352.00	0.00	0.00	0.00	694.00	150.00	0.00
2007-08	120.00	54.00	0.00	80.00	54.00	0.00	80.00	42.00	0.00	125.00	658.00	0.00	0.00	0.00	1063.00	150.00	0.00
2008-09	120.00	90.00	0.00	235.00	90.00	0.00	110.00	70.00	0.00	165.00	706.00	0.00	0.00	0.00	1336.00	250.00	0.00
2009-10	160.00	61.20	0.00	230.00	61.20	0.00	0.00	47.60	0.00	240.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	170.00	0.00
2010-11	192.29	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	400.00	336.00	0.00	0.00	0.00	1540.29	0.00	0.00
2011-12	524.36	295.47	375.65	562.67	391.34	392.67	466.68	308.19	301.68	400.00	521.00	0.00	0.00	0.00	2474.71	995.00	1070.00
2012-13	916.66	371.35	0.00	969.18	309.23	0.00	877.16	319.42	0.00	449.00	636.00	0.00	0.00	0.00	3848.00	1000.00	0.00
2013-14	910.18	0.00	0.00	901.57	0.00	0.00	1000.25	0.00	0.00	326.00	740.00	0.00	0.00	0.00	3878.00	0.00	0.00
2014-15	988.46	70.88	271.85	1041.10	94.50	231.11	968.15	70.87	226.44	370.00	881.50	0.00	0.00	0.00	4249.21	236.25	729.40
2015-16	2485.70	70.88	394.97	2726.78	94.50	469.46	2540.18	70.87	401.17	537.16	1144.00	0.00	0.00	0.00	9433.82	236.25	1265.60
2016-17	1041.70	0.00	0.00	1108.76	0.00	0.00	1026.62	0.00	0.00	194.56	694.08	0.00	50.00	0.00	4115.72	0.00	0.00
2017-18	1078.58	0.00	0.00	1162.06	0.00	0.00	1062.99	0.00	0.00	250.01	296.28	0.00	0.00	0.00	3849.92	0.00	0.00
2018-19	1084.60	0.00	0.00	1158.35	0.00	0.00	1062.54	0.00	0.00	170.31	346.50	0.00	0.00	0.05	3822.35	0.00	0.00
कुल	**10018.03**	**1184.23**		**10783.47**	**1282.24**		**9954.57**	**1071.03**		**3535.05**	**9576.08**	**12.94**	**50.00**	**0.05**	**43930.19**	**3537.50**	**3065.00**

* यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूँजी में से संचित हानियों को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल जावक ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ – आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसी की प्रारंभिक पूँजी)।

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 28 पर अनुच्छेद संख्या 1.24 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र .सं	पीएसयू का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद			प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई		
		बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (करोड़ में ₹)	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (करोड़ में ₹)
01	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2	3	-	-	-	-
02	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	3	7	1.20	-	-	-
03	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2	9	28.18	-	-	-
04	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	25	65	2296.22	-	-	-
05	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	3	13	28.95	-	-	-
06	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (की सहायक कम्पनी 9 क्रम संख्या)	-	-	-	-	-	-
07	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (की सहायक कम्पनी 9 क्रम संख्या)	-	-	-	-	-	-
08	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (की सहायक कम्पनी 9 क्रम संख्या)	-	-	-	-	-	-
09	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	20	44	255.96	-	-	-
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	48	173	386.83	-	-	-
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	32	118	1510.63	-	-	-
12	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	40	136	717.76	-	-	-
13	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी)	2	3	1.27	-	-	-
14	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1	3	3.80	-	-	-
15	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
	कुल	**178**	**574**	**5230.80**	**-**	**-**	**-**

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 32 पर अनुच्छेद संख्या 2.2.2 में संदर्भित)

वित्तीय समापन योग्य क्रयादेश (पीओ) एवं वित्तीय समापित प्रकरणों में से क्रयादेश के चयन की वर्गवार संख्या तथा वित्तीय समापन हेतु लंबित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े संख्या में)

क्रम संख्या	**विवरण**	**ट्रांसफॉर्मर्स**	**मीटर**	**वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी)**	**इस्पात मदें**	**कंडक्टर/ केबल**	**कुल (अन्य सामग्री के अतिरिक्त)**	**अन्य सामग्री**	**कुल**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=2+3+4+5+6**	**8**	**9=7+8**
1	समापन योग्य पीओ की संख्या (अर्थात 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2018 तक जारी पीओ)	418	81	29	343	445	1316	2792	4108
2	वित्तीय समापन योग्य पीओ में से समापित पीओ की संख्या	90	22	1	95	30	238	275	513
3	**समापित पीओ में से किया गया नमूना चयन (20%)**	**18**	**4**	**1**	**20**	**6**	**49**	-	**49**
4	वित्तीय समापन हेतु लंबित पीओ की संख्या (1-2)	328	59	28	248	415	1078	2517	3595
5	**समापन हेतु लंबित प्रकरणों में से किया गया नमूना चयन (10%)**	**33**	**7**	**4**	**25**	**42**	**111**	-	**111**

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 49 पर अनुच्छेद संख्या 2.4.1 में संदर्भित)

जीएसएस एवं लाइनों की संख्या के विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	योग	लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयन
अ. जीएसएस की संख्या						
1.	वर्ष के प्रारंभ में	515	543	562		
2.	वर्ष के दौरान जोड़े गए					
	132 केवी	20	16	11	47	-
	220 केवी	7	1	2	10	3
	400 केवी	1	3	2	6	3
	योग	**28**	**20**	**15**	**63**	**6**
3.	वर्ष के दौरान संवर्धित जीएसएस	0	1	1	2	
4.	वर्ष के अंत में कुल जीएसएस	543	562	576		
ब. प्रसारण लाइनें (सीकेएम)						
1.	वर्ष के प्रारंभ में	33959	35643.93	37606.58		
2.	वर्ष के दौरान जोड़ी गई					
	132 केवी	589.964 (32)	418.247 (27)	428.346 (22)	1436.557 (81)	-
	220 केवी	785.823 (16)	540.003 (7)	217.736 (7)	1516.562 (30)	776.263 (8)
	400 केवी	308.678 (4)	1004.402 (4)	1336.167 (7)	2649.247 (15)	1730.146 (7)
	योग	**1684.47**	**1962.652**	**1982.25**	**5625.932**	**2506.409 (15)**
3.	वर्ष के अंत में कुल लम्बाई	35643.93	37606.58	39588.834		
स. ट्रांसफार्मर्स की क्षमता (एमवीए)						
1	वर्ष के प्रारंभ में क्षमता	68036.50	72553.00	78610.50		
2.	वर्ष के दौरान जोड़ी गई	4516.50	6057.50	3470.00	14044.00	
3.	वर्ष के अंत में क्षमता	72553.00	78610.50	82080.50		

* कोष्ठक में आंकड़े लाईनों की संख्या को दर्शाते हैं।

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 52 पर अनुच्छेद संख्या 2.4.6 में संदर्भित)

जीएसएस एवं लाइनों के निर्माण अनुसूची में समन्वय में अभाव के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

परियोजना/ योजना/ कार्य का नाम	परियोजना अनुमोदन तिथि/ कार्यादेश तिथि	निर्धारित/ वास्तविक पूर्णता तिथि	विलम्ब एवं विलम्ब के कारण	विलम्ब के कारण अवरुद्ध राशि/हानि (₹ करोड़ में)
जीएसएस की अनुपलब्धता/ अपूर्ण होने के कारण अनुपयोगी रही लाइनें				
220 केवी द्वि-पथिय छत्रेल-रामगढ़ (60 किमी) लाइन	दिसम्बर 2011 (बीओडी) एवं फरवरी 2012 (जीओआर)/ फरवरी 2014	18 अप्रैल 2015/ 4 जुलाई 2016	443 दिन, जिसमें से कम्पनी के भाग पर 375 दिनो का विलम्ब जीओआर से राजपत्र में अधिसूचना जारी करवाने, रामगढ़ एवं छत्रेल छोर पर गैन्ट्रीज को अंतिम रूप दिए जाने, विद्युत प्रसारण लाइन को पार करने के स्थान में परिवर्तन करने के कारण लाइन के मार्ग में परिवर्तन, आरओडब्ल्यू की समस्या, ठेकेदार को तार जारी करने, सहायक लाइनों की शट डाउन देने एवं रिवेटमेंट कार्य[2] को अंतिम रूप देने के कारण हुआ।	₹ 79.38/ सम्बंधित जीएसएस के उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पनी द्वारा मार्च 2016 से चोरी निरोधक उद्देश्य से लाइन को केवल 11 केवी पर चार्ज किया जा सका एवं इस प्रकार परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।
220 केवी द्वि-पथिय जयपुर (उत्तर)-मनोहरपुर लाइन (31 किमी) के साथ 9.5 किमी लम्बी वीकेआईए-कूकस लीलो लाइन	जनवरी 2013/ फरवरी 2014	30 दिसम्बर 2017	1108 दिन, जिनमें से 1064 दिन का विलम्ब कम्पनी के भाग पर मुख्यतः लाइन को 220 केवी एक पथिय वीकेआईए-कूकस लाइन तक बढ़ाने, वन अनुमति एवं आरओडब्ल्यू की समस्या के हुआ।	₹ 29.13/ लाइन का निर्माण सम्बंधित जीएसएस की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना किया गया। इसके अतिरिक्त, जीएसएस के लिए क्रय की गई ₹ 16.17 करोड़ मूल्य की भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके लिए ₹ 3.15 करोड़ के लीज किराये का व्यर्थ भुगतान किया गया।
220 केवी जीएसएस अम्बेरी	मई 2011/ नवम्बर 2016	मार्च 2017/ मार्च 2018	अम्बेरी जीएसएस के विद्युत कार्य अत्याधिक विलम्ब से प्रदान किया गया यथा बीओडी के अनुमोदन के 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात। समय पर समरूप सामग्री की अनुपलब्धता, सिविल समूह द्वारा नींव भरने/ ग्राउटिंग कार्य,भूमिकार्य में विलम्ब, एवं जीएसएस के विद्युत ले-आउट प्लान में परिवर्तन के कारण निर्धारित पूर्णता तिथि से 355 दिनों के विलम्ब से कार्य पूर्ण हुआ था।	₹ 7.26/ 2016 एवं 2017 में पूर्ण हुई तीन सम्बंधित लाइनें, (220 केवी एक पथिय कांकरोली-देबारी लाइन, 132 केवी एक पथिय देबारी-सुस्वेर लाइन एवं 132 केवी एक पथिय सुस्वेर-सीसारमा लाइन) 12 से 26 माह तक की अवधि तक निष्क्रिय रहीं जिसके परिणामस्वरूप डीपीआर में परिकल्पित ऊर्जा की हानि हुई।

2 सामान्यतया यह प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है जहां भूतल अनियमित होता है अथवा जहां टावर की नींव के आसपास मृदा के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर होता है। जहां इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, नींव के उन हिस्सों के चारों ओर पत्थर की चुनाई द्वारा दीवार का संरक्षण प्रदान किया जाता है।

दो संबंधित लाइनों के साथ 220 केवी जीएसएस भवानी मंडी का निर्माण	मई 2014 (बीओडी)/ सितम्बर 2015 में सीएलआरसी दर अनुबंध	23 नवम्बर 2016/ 16 जुलाई 2018	600 दिन, जिसमें से 450 दिनों का विलम्ब कम्पनी के भाग पर ले-आउट प्लान देने में आठ माह का विलम्ब एवं समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने बीओडी की अनुमति के पश्चात, तकनीकी अनुमति एवं कार्यादेश जारी करने में 17 माह का समय लिया।	₹ 29.93/ दोनों सम्बंधित लाइन यथा भवानी मंडी-मोडक लाइन (39.91 किमी) एवं भवानी मंडी-कालीसिंध लाइन (33.752 किमी) जो कि क्रमशः 4 मार्च 2017 एवं 11 अगस्त 2017 को पूर्ण हो गई थी,जीएसएस के पूर्ण नहीं होने के कारण जुलाई 2018 तक अनुपयोगी रही जिसके परिणामस्वरूप परिकल्पित ऊर्जा की हानि हुई।
400 केवी जीएसएस जोधपुर प्रसारण लाइन पर 400 केवी द्वि-पथिय राज-वेस्ट जोधपुर लाइन का 50 किमी लीलो सर्किट का निर्माण	अप्रैल 2011 (बीओडी)/ 12 जून 2013	12 दिसम्बर 2014/ 6 मई 2016	आरओडब्ल्यू की समस्या, उड्डयन प्राधिकरण से अनापत्ति लेने, उपज की क्षतिपूर्ति को भुगतान इत्यादि में विलम्ब	₹ 61.03/ कम्पनी ने 400 केवी जोधपुर (नवीन) जीएसएस की अनुपलब्धता के कारण लाइन को 132 केवी पर केवल चोरी निरोधक उद्देश्य से चार्ज किया था।
संबंधित लाइन के पूर्ण नहीं होने के कारण अनुपयोगी रहे जीएसएस				
400 केवी द्वि-पथिय भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ लाइन (50 किमी) का निर्माण	अगस्त 2009 (बीओडी) एवं नवम्बर 2009 (जीओआर)/ नवम्बर 2011	मई 2013/ 7 सितम्बर 2018	1954 दिनों का विलम्ब ठेकेदार, उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश एवं आरओडब्ल्यू समस्या इत्यादि के कारण। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने जीओआर के अनुमोदन के पश्चात निविदा आमंत्रित करने एवं इसे अंतिम रुप देने में 23 माह का समय लिया।	₹ 285.79/ लाइन के निर्माण में विलम्ब के कारण, सितम्बर 2013 में निर्मित चितौडगढ़ जीएसएस 5 वर्षों तक अनुपयोगी रहा।
400 केवी द्वि-पथिय भीलवाड़ा-अजमेर लाइन (150 किमी) का निर्माण	अगस्त 2009 (बीओडी) / सितम्बर 2012	25 मार्च 2014/ 14 मार्च 2018	1315 दिनों का विलम्ब (सेवा-665 दिन एवं आपूर्ति 650 दिन)। 344 दिनों का विलम्ब ठेकेदार के भाग पर तथा 321 दिन का विलम्ब कम्पनी के भाग पर हुआ। रेत के खनन पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक, आरओडब्ल्यू की समस्या, ठेकेदार को भुगतान में विलम्ब, अगस्त 2016 में नागरिक उड्डयन से अनापत्ति की प्राप्ति इत्यादि के कारण	

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 53 पर अनुच्छेद संख्या 2.4.7 में संदर्भित)

कार्यो के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियां नहीं करने के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

परियोजना/ योजना/ कार्य का नाम	माह जिसमें कार्यादेश प्रदान किया गया था	निर्धारित/ वास्तविक पूर्णता तिथि	अनुमानित परियोजना लागत/ कार्यादेश की लागत (₹ करोड़ में)	अंतिम लागत (₹ करोड़ में)	विलम्ब	विलम्ब के कारण
पीजीसीआईएल के 400/220 केवी कोटपूतली जीएसएस (पीजी) से बानसूर (प्रस्तावित 220 केवी जीएसएस) तक 220 केवी द्वि-पथिय लाइन- 20 किमी	अगस्त 2013	अगस्त 2014/ मई 2016	5.82 (कार्यादेश)	13.18	20 माह	जीएसएस के स्थान में परिवर्तन के कारण लाइन की लम्बाई में 41 किमी तक की वृद्धि।
220 केवी द्वि- पथिय अजमेर-जेठाना लाइन का निर्माण-60 किमी	जनवरी 2013	26 फरवरी 2014/ दिसम्बर 2016	12.20 (डीपीआर)	34.45	1028 दिन	सामग्री की अनुपलब्धता एवं एनएचएआई से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब।
220 केवी जीएसएस पिण्डवाडा पर वैकल्पिक 220 केवी के आपूर्ति स्त्रोत बनाने के लिए 220 केवी एक पथिय सिरोही-पिण्डवाडा लाइन (25 किमी) का निर्माण	दिसम्बर 2013	17 जुलाई 2014/ 14 फरवरी 2019	14.50 (संशोधित अनुमान)	12.24	54 माह	वन अनुमति प्राप्त करने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य करने में विलम्ब के कारण।
220 केवी द्वि-पथिय बड़ीसिद-आऊ लाइन (50 किमी)	दिसम्बर 2013	17 नवम्बर 2014/ 13 अप्रैल 2016	23.28 (डीपीआर)	28.57	513 दिन	आरओडब्ल्यू अनुमति, रेलवे से अनुमति, टॉवर की सामग्री, अर्थ वायर, तार, हार्डवेयर एवं अन्य सहायक सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब।
220 केवी जीएसएस भेरून्दा से सम्बंधित 220 केवी द्वि-पथिय अजमेर-भेरून्दा लाइन का निर्माण	जनवरी 2017	2 मार्च 2018/ 23 जनवरी 2019	18.95 (डीपीआर)	23.69	327 दिन	वन अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब।
भेरुन्दा जीएसएस का निर्माण	मार्च 2016 एवं सितंबर 2016	अगस्त 2017/ दिसम्बर 2018	24.77 (डीपीआर)	15.23	468 दिन, जिनमें से 233 दिनों का विलम्ब कम्पनी के भाग पर था।	ट्रांसफॉर्मर्स, इससे सम्बंधित सामग्री एवं नक्शों की आपूर्ति में विलम्ब।
220 केवी द्वि-पथिय प्रतापगढ़-चित्तोड़गढ़ (400 केवी जीएसएस) लाइन	अक्टूबर 2014	25 जनवरी 2016/ 22 फरवरी 2018	11.95 (कार्यादेश)	57.46	165 दिनों का विलम्ब ठेकेदार के पेटे एवं 594 दिनों का विलम्ब	वन अनुमति लेने में 401 दिनों का विलम्ब एवं आरओडब्ल्यू समस्या के समाधान हेतु

					आरआरवीपीएनएल पेटे	कार्यवाही का अभाव
भडला से बीकानेर तक 180 किमी लम्बी द्वि-पथिय 400 केवी चतुर्थ मूज कंडक्टर लाइन का निर्माण	अप्रैल 2013	09 अक्टूबर 2014/ 15 अप्रैल 2017 को चार्ज की गई	232.88 (कार्यादेश)	359.69	30 माह	न्यायालय का स्थगन आदेश, आरओडब्ल्यू, समस्याएं एवं वन अनुमति, नागरिक उड्डयन से अनुमोदन इत्यादि के कारण विलम्ब
विद्युत निष्क्रमण हेतु प्रसारण तंत्र के लिए आकल (जैसलमेर) से जोधपुर (नवीन) तक 240 किमी 400 केवी द्वि-पथिय चतुर्थ एसीएसआर मूज प्रसारण लाइन	नवम्बर 2014	16 मई 2016/ 21 दिसम्बर 2018	567.84	471.14	31 माह का विलम्ब	आरओडब्ल्यू समस्या, संविधिक प्राधिकरण से अनुमति, लाइन के कुछ भाग का पुनः पथ निर्धारण, ओपीजीडब्ल्यू के संदर्भ में भारत से बाहर निरीक्षण का प्रकरण।
400 केवी जीएसस जोधपुर पर 400 केवी एक पथिय जोधपुर-मेड़ता लीलो लाइन	जून 2013	13 दिसम्बर 2014/ 23 जून 2016 एवं 31 जनवरी 2017	40.52 (कार्यादेश)	70.95	18 माह	आरओडब्लयू समस्या, वन के कारण पथ परिवर्तन, नागरिक उड्डयन से अनापत्ति, प्रमाण-पत्र अपर्याप्त कोषों के कारण भुगतान में विलम्ब इत्यादि।
				1086.60		

अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 61 पर अनुच्छेद संख्या 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत में पूँजी[3]				वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[4]	जीओआई[5]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6(द)
अ	**सामाजिक क्षेत्र**										
	I. **कार्यरत सरकारी कम्पनियां**										
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3-जून-1961	6.64	0.27	0.05	6.96	0.75	0.00	0.00	0.75
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	1-अप्रेल-1984	45.51	0.00	0.55	46.06	0.00	0.00	0.43	0.43
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढ़ांचागत निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	1-दिसम्बर-2004	48.67	0.00	0.00	48.67	278.11	0.00	1196.94	1475.05
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	वित्त	24-फरवरी-2005	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	1-जनवरी-2010	1494.04	0.00	200.00	1694.04	861.70	0.00	0.00	861.70
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	सैनिक कल्याण विभाग	29-मार्च-2012	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4-मई-2011	5.00	0.00	0.00	5.00	21.18	0.00	0.00	21.18
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	श्रम, रोजगार,कौशल एवं उद्यमशीलता	17-अगस्त-2010	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला	27-दिसम्बर-2010	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	9.78	9.78
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28-मार्च-1978	6.33	1.14	0.12	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

3 पूँजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।
4 राजस्थान सरकार।
5 भारत सरकार।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत में पूँजी[3]				वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[4]	जीओआई[5]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6(द)
	कुल अ-I			**1663.24**	**1.41**	**200.72**	**1865.37**	**1161.74**	**0.00**	**1207.15**	**2368.89**
	II. **अकार्यरत सरकारी कम्पनियां**										
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग[6] निगम लिमिटेड	कृषि	1-अगस्त-1969	6.01	0.00	0.00	6.01	16.27	0.00	0.00	16.27
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भूजल विभाग	25-जनवरी-1984	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल अ-II			**7.28**	**0.00**	**0.00**	**7.28**	**16.27**	**0.00**	**0.00**	**16.27**
	कुल अ (I+II)			**1670.52**	**1.41**	**200.72**	**1872.65**	**1178.01**	**0.00**	**1207.15**	**2385.16**
ब	**प्रतिस्पर्धी क्षेत्र**										
	I. **कार्यरत सरकारी कम्पनियां**										
13.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	वित्त	21-दिसम्बर-2012	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	वित्त	1-जुलाई-1956	180.34	0.00	0.05	180.39	0.41	0.00	0.00	0.41
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (जनवरी 1980 से पृथक की गई)	उद्योग	28-मार्च-1969	210.19	0.00	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	8-फरवरी-1979	100.00	0.00	0.00	100.00	53.48	0.00	2771.82	2825.3
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	7-मई-1947	77.54	0.00	0.01	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	27-अक्टूबर-2010	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7-जून-1965	2.16	0.00	0.00	2.16	10.00	0.00	1.53	11.53
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24-नवम्बर-1978	21.95	0.00	0.00	21.95	34.50	0.00	0.00	34.50

6 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम समापन के अंतर्गत है, कम्पनी से नवीनतम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत में पूँजी[3]				वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[4]	जीओआई[5]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6(द)
21.	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त उद्यम कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	19-जनवरी-2007	0	0	20.00	20.00	0.00	0.00	1684.61	1684.61
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 23 की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	20-सितंबर-2013	0	0	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान राज्य पैट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	10-जुलाई-2008	0	0	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ब-I			**687.18**	**0.00**	**217.01**	**904.19**	**98.39**	**0.00**	**4457.96**	**4556.35**
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1- अक्टूबर - 1964	612.13	26.83	0.00	638.96	648.27	0.00	709.24	1357.51
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	कृषि	30- दिसम्बर - 1957	3.93	3.92	0.00	7.85	298.47	0.00	0.00	298.47
26.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17-जनवरी-1955	128.31	0.00	32.42	160.73	1.04	0.00	300.00	301.04
	कुल ब-II			**744.37**	**30.75**	**32.42**	**807.54**	**947.78**	**0.00**	**1009.24**	**1957.02**
	कुल ब (I+II)			**1431.55**	**30.75**	**249.43**	**1711.73**	**1046.17**	**0.00**	**5467.20**	**6513.37**
स	**अन्य**										
	I. **कार्यरत सरकारी कम्पनियां**										
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	22-जून-2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-I			**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. **अकार्यरत सरकारी कम्पनियां**										
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	नागरिक उड्डयन	20- दिसम्बर - 2006	4.49	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-II			**4.49**	**0.00**	**0.00**	**4.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल स (I+II)			**5.49**	**0.00**	**0.00**	**5.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल योग (अ+ब+स)			**3107.56**	**32.16**	**450.15**	**3589.87**	**2224.18**	**0.00**	**6674.35**	**8898.53**

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 63 पर अनुच्छेद संख्या 3.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	पीएसयूज के लेखों के अनुसार			राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-6	10=4-7	11=5-8
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	6.33	0.00	0.00	6.33	0.64	0.00	0.00	-0.64	0.00
2	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	210.19	0.00	0.00	193.69	5.37	0.00	16.50	-5.37	0.00
3	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	48.67	278.11	1572.00	33.51	0.00	1286.74	15.16	278.11	285.26
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	180.34	0.41	0.00	180.84	0.11	0.00	-0.50	0.30	0.00
5	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	77.54	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	34.50	0.00	21.94	34.50	0.00	0.01	0.00	0.00
7	राजस्थान वित्त निगम	128.31	1.04	300.00	128.31	1.26	300.00	0.00	-0.22	0.00
8	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	16.27	0.00	4.13	17.51	0.00	1.88	-1.24	0.00

अनुबंध-10

(पृष्ठ संख्या 64 पर अनुच्छेद संख्या 3.8.1 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षो के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समयावधि	बकाया लेखों की समयावधि	नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखों की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
अ	**सरकारी कम्पनियां**						
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	46.06	0.00	0.80	0.80
2	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18, 2018-19	48.67	0.00	0.00	0.00
3	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	2.00	0.00	0.00	0.00
4	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.00	0.00	328.85	328.85
5	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18, 2018-19	50.00	0.00	0.00	0.00
6	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.59	0.00	28.31	28.31
7	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	180.39	0.00	0.00	0.00
8	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	210.19	0.00	0.00	0.00
9	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2017-18	2018-19	77.55	0.00	0.00	0.00
10	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.00	0.00	0.00	0.00
11	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17, 2017-18, 2018-19	2.16	0.00	0.00	0.00
12	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17, 2017-18, 2018-19	21.95	11.50	0.00	11.50
13	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या अ(9) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2017-18	2018-19	20.00	0.00	0.00	0.00
14	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	66.99	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)			**743.55**	**11.50**	**357.96**	**369.46**
ब	**सांविधिक निगम**						
15	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	2018-19	638.96	100.00	383.81	483.81
	योग (ब)			**638.96**	**100.00**	**383.81**	**483.81**
	कुल योग (अ+ब)			**1382.51**	**111.50**	**741.77**	**853.27**

अनुबंध–11

(पृष्ठ संख्या 66, 67 एवं 74 पर क्रमशः अनुच्छेद संख्या 3.11, 3.12 एवं 3.17 में संदर्भित)

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	**सामाजिक क्षेत्र**									
	कार्यरत सरकारी कम्पनियां									
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.62	-0.97	97.38	6.96	-10.76	-18.52	-25.48
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.23	0.22	18.06	46.06	-0.31	-3.83	-49.89
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19 2019-20	0.73	0.49	5.33	48.67	613.34	69.74	21.07
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	28.98	5.12	5699.57	2.00	39.72	39.72	37.72
5.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	-24.70	-52.97	103.09	1694.04	1999.12	1406.32	-287.72
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	4.96	4.96	123.54	5.00	19.71	19.71	14.71
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	19.21	7.23	644.70	5.00	47.63	26.45	21.45
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2018-19	2019-20	3.54	3.53	95.25	0.05	-13.00	-13.00	-13.05
9.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	6.87	3.51	475.17	50.00	86.73	86.73	36.73
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.54	1.08	261.58	7.59	125.51	125.51	117.92
	कुल अ–I			**46.74**	**-27.80**	**7523.67**	**1865.37**	**2907.69**	**1738.83**	**-126.54**
	अकार्यरत सरकारी कम्पनियां									
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-0.14	-1.46	0.00	6.01	-2.21	-48.82	-54.83
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.28	-0.28	0.00	1.27	-1.10	-1.10	-2.37
	कुल अ–II			**-0.42**	**-1.74**	**0.00**	**7.28**	**-3.31**	**-49.92**	**-57.20**
	कुल अ (I+II)			**46.32**	**-29.54**	**7523.67**	**1872.65**	**2904.38**	**1688.91**	**-183.74**
ब.	**प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र**									
	कार्यरत सरकारी कम्पनियां									
13.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	7.59	5.47	0.00	90.00	106.78	106.78	16.78

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	44.34	23.51	1143.25	180.39	298.14	297.58	117.19
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	196.06	142.94	689.23	210.19	1726.79	1726.79	1516.60
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	289.23	35.00	1408.61	100.00	2865.91	226.89	126.89
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	2017-18	2018-19	236.98	168.50	831.62	77.55	2157.54	2157.54	2079.99
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	10.04	3.29	129.93	5.00	55.08	55.08	50.08
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2015-16	2019-20	-0.06	-0.10	1.69	2.16	-2.55	-6.55	-8.71
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	-14.53	-14.59	67.89	21.95	-109.01	-123.10	-145.05
21.	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त उद्यम कम्पनी)	2017-18	2018-19	48.90	-45.54	836.42	20.00	1599.66	-51.87	-71.87
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 23 की सहायक कम्पनी)	2018-19	2019-20	6.46	5.39	57.44	129.87	125.56	125.56	-4.31
23.	राजस्थान राज्य पैट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	2017-18	2018-19	-0.80	-0.80	0.00	67.08	65.37	65.46	-1.62
	कुल ब-I			**824.21**	**323.07**	**5166.08**	**904.19**	**8889.27**	**4580.07**	**3675.97**
	II. **सांविधिक निगम**									
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	2019-20	-34.16	-176.71	1845.30	638.96	-2890.86	-4177.02	-4815.98
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2018-19	2019-20	115.20	88.89	193.34	7.85	565.78	267.31	259.46
26.	राजस्थान वित्त निगम	2018-19	2019-20	48.49	10.39	91.37	160.73	352.26	51.60[7]	-108.47
	कुल ब-II			**129.53**	**-77.43**	**2130.01**	**807.54**	**-1972.82**	**-3858.11**	**-4664.99**
	कुल ब (I+II)			**953.74**	**245.64**	**7296.09**	**1711.73**	**6916.45**	**721.96**	**-989.02**
स.	**अन्य**									
	I. **कार्यरत सरकारी कम्पनी**									
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	2.62	2.01	4.10	1.00	3.30	3.30	2.30

7 राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में निवल मूल्य की राशि की गणना के लिए प्रदत्त पूँजी एवं संचित हानियों के अंतर में से ₹ 0.66 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाये गये हैं।

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल स-I			**2.62**	**2.01**	**4.10**	**1.00**	**3.30**	**3.30**	**2.30**
	II. **अकार्यरत सरकारी कम्पनियां**									
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.04	0.03	0.00	4.49	-1.80	-1.80	-6.29
	कुल स-II			**0.04**	**0.03**	**0.00**	**4.49**	**-1.80**	**-1.80**	**-6.29**
	कुल स (I+II)			**2.66**	**2.04**	**4.1**	**5.49**	**1.5**	**1.5**	**-3.99**
	कुल योग (अ+ब+स)			**1002.72**	**218.14**	**14823.86**	**3589.87**	**9822.33**	**2412.46**	**-1176.75**
i	**कार्यरत सरकारी कम्पनियां**			**873.57**	**297.28**	**12693.85**	**2770.47**	**11800.26**	**6322.20**	**3551.73**
ii	**सांविधिक निगम**			**129.53**	**-77.43**	**2130.01**	**807.54**	**-1972.82**	**-3858.11**	**-4664.99**
iii	**कार्यरत पीएसयूज (i+ii)**			**1003.10**	**219.85**	**14823.86**	**3578.01**	**9827.44**	**2464.09**	**-1113.26**
iv	**अकार्यरत सरकारी कम्पनियां**			**-0.38**	**-1.71**	**0.00**	**11.77**	**-5.11**	**-51.72**	**-63.49**
	कुल योग (iii+iv)			**1002.72**	**218.14**	**14823.86**	**3589.87**	**9822.33**	**2412.46**	**-1176.75**

अनुबंध-12

(पृष्ठ संख्या 71 पर अनुच्छेद संख्या 3.15 में संदर्भित)

2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित कोषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	1.		2.		3.		4.		5.	
वर्ष	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड		राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	1.50	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.38
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	-2.50
2017-18	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	0.00	278.11	0.00	-2.50
2018-19	-0.50	0.00	0.00	-9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50
कुल	**-0.50**	**0.00**	**1.50**	**0.75**	**39.91**	**0.00**	**48.67**	**278.11**	**5.00**	**10.00**

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	6		7		8		9		10	
वर्ष	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम		राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड		जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड		राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	307.04	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.00	561.00	0.00	5.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	-15.22	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.38	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	-24.88	0.00	0.00	0.00	72.02	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-958.05	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.34	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	185.05	0.00	0.00
कुल	**0.05**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**1494.04**	**595.74**	**5.00**	**0.00**

अ. सामाजिक क्षेत्र (11 एवं 12) एवं ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (13 से 15)										
क्र. सं.	11		12		13		14		15	
वर्ष	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य वित्त एवं वित्तीय सेवा लिमिटेड		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	-0.49	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.31	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	-1.06	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	-0.04	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	-10.59	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	-5.51	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-0.39	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	-1.05	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	-0.69	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.69	10.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	एन आर	एन आर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**42.57**	**-27.85**	**90.00**	**0.00**

ब	प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र									
क्र. सं.	16		17		18		19		20	
वर्ष	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड		राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान वित्त निगम	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-2.10
2003-04	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80
2004-05	0.00	0.00	0.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-0.55
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	21.50	0.00	0.00	0.00	0.29	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	11.69	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	3.50	0.00	25.65	0.00
2013-14	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	0.00
2014-15	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2016-17	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
कुल	**176.79**	**0.00**	**15.81**	**-3.50**	**1.19**	**9.54**	**8.11**	**34.50**	**81.15**	**-3.45**

ब प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (21 से 23) एवं स. अन्य (24-25)										
क्र. सं.	21		22		23		24		25	
वर्ष	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम		राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2012-13	188.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00
2013-14	150.00	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2014-15	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**531.00**	**648.27**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**4.49**	**0.00**

अनुबंध-13

(पृष्ठ संख्या 81 पर अनुच्छेद संख्या 3.29 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	विभाग एवं पीएसयू का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद			प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई		
		बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
क	**उद्योग**						
1	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	8	49	6.97	-	-	-
2	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3	6	0.95	-	-	-
3	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	67	208	339.72	1	1	-
4	राजस्थान वित्त निगम	61	163	251.01	-	-	-
	कुल क	139	426	598.65	1	1	-
ख	**स्थानीय स्वायत्त शासन**						
5	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	11	109	1758.32	-	-	-
	कुल ख	11	109	1758.32	-	-	-
ग	**वित्त (आबकारी)**						
6	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	4	15	2.60	-	-	-
7	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	12	50	55.03	-	-	-
	कुल ग	16	65	57.63	-	-	-
घ	**शहरी विकास एवं आवास**						
8	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	33	389.23	-	-	-
	कुल घ	5	33	389.23	-	-	-
च	**सैनिक कल्याण विभाग**						
9	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	3	8	2.68	-	-	-
	कुल च	3	8	2.68	-	-	-
छ	**चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**						
10	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	22	33.25	-	-	-
	कुल छ	3	22	33.25	-	-	-

ज	**श्रम, रोजगार, कौशल एवं उद्यमशीलता**						
11	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	5	24	183.19	-	-	-
	कुल ज	5	24	183.19	-	-	-
झ	**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले**						
12	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	5	22	46.89	-	-	-
	कुल झ	5	22	46.89	-	-	-
ट	**कृषि**						
13	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	22	114	158.81	-	-	-
14	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
15	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	6	39	58.38	-	-	-
	कुल ट	28	153	217.19	-	-	-
ठ	**भूजल विभाग**						
16	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
	कुल ठ	-	-	-	-	-	-
ड	**वित्त**						
17	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	1	4	1.67	-	-	-
	कुल ड	1	4	1.67	-	-	-
ढ	**लोक निर्माण विभाग**						
18	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	50	152	337.84	4	11	1.90
	कुल ढ	50	152	337.84	4	11	1.90
त	**खान एवं पेट्रोलियम**						
19	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	19	75	325.60	4	13	14.18
20	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	1	5	1.47	-	-	-
21	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
	कुल त	20	80	327.07	4	13	14.18
थ	**सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार**						
22	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	5	30	154.06	1	2	-
	कुल थ	5	30	154.06	1	2	-
द	**पर्यटन**						
23	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	5	18	1.55	-	-	-
24	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24	126	71.59	3	49	8.57

	कुल द	29	144	73.14	3	49	8.57
ध	**खान एवं भूगर्भ**						
25	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	2	4	1.64	1	1	0.23
	कुल ध	2	4	1.64	1	1	0.23
न	**परिवहन**						
26	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	69	554	1174.72	22	95	177.74
	कुल न	69	554	1174.72	22	95	177.74
प	**गृह**						
27	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1	1	18.69	-	-	-
	कुल प	1	1	18.69	-	-	-
फ	**सामान्य प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन**						
28	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	1	1	0.04	-	-	-
	कुल फ	1	1	0.04	-	-	-
	कुल योग	**393**	**1832**	**5375.90**	**36**	**172**	**202.62**

अनुबंध-14

(पृष्ठ संख्या 98 पर अनुच्छेद 4.14.3 में संदर्भित)

चयनित 14 आगारों में 2016-17 से 2018-19 के दौरान आगार-वार बसों की आवश्यकता एवं उपलब्धता (स्वयं एवं किराए पर) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े संख्या में)

क्र.सं	आगार एवं वर्ष	वर्ष के लिए नियोजित कुल अनुसूची	नियोजित अनुसूचियों को परिचालित करने के लिए बसों की आवश्यकता	निगम का बेड़ा			वर्ष के लिए किराए की बसों की आवश्यकता	किराए पर ली गई बसें	आधिक्य/कमी (-)		वास्तविक परिचालित अनुसूची	बसों की कमी के कारण कटौतीकी गई अनुसूची
				स्वयं का बेड़ा	आयु पार बेड़ा	निवल बेड़ा			आधिक्य	कमी (-)		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4-7	9	10=9-8	11=8-9	12	13=3-12
वित्तीय वर्ष 2016-17												
1	जयपुर	142	149	142	2	140	9	0		-9	140	2
2	हिण्डौन	76	79	79	0	79	0	0			74	
3	करौली	14	14	16	0	16	-2	0	2		14	
4	कोटा	102	107	119	0	119	-12	0	12		97	
5	सिरोही	53	55	54	0	54	1	0		-1	49	4
6	टोंक	97	101	91	6	85	16	0		-16	91	6
7	अजयमेरु	101	105	101	11	90	15	0		-15	98	3
8	बांसवाड़ा	80	83	88	0	88	-5	0	5		75	
9	राजसमंद	34	35	33	0	33	2	0		-2	32	2
10	हनुमानगढ़	134	141	123	4	119	22	20		-2	131	3
11	लोहागढ़	95	99	91	0	91	8	0		-8	81	14
12	अनूपगढ़	66	68	61	0	61	7	9	2		59	
13	सीकर	154	162	155	2	153	9	2		-7	150	4
14	डूंगरपुर	91	95	95	0	95	0	0			81	
	कुल	**1239**	**1293**	**1248**	**25**	**1223**	**70**	**31**	**21**	**-60**	**1172**	**38**
वित्तीय वर्ष 2017-18												
1	जयपुर	140	147	159	10	149	-2	14	16		135	
2	हिण्डौन	72	75	88	35	53	22	0		-22	68	4

क्र.सं	आगार एवं वर्ष	वर्ष के लिए नियोजित कुल अनुसूची	नियोजित अनुसूचियों को परिचालित करने के लिए बसों की आवश्यकता	निगम का बेड़ा			वर्ष के लिए किराए की बसों की आवश्यकता	किराए पर ली गई बसें	आधिक्य/कमी (-)		वास्तविक परिचालित अनुसूची	बसों की कमी के कारण कटौतीकी गई अनुसूची
				स्वयं का बेड़ा	आयु पार बेड़ा	निवल बेड़ा			आधिक्य	कमी (-)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=5-6**	**8=4-7**	**9**	**10=9-8**	**11=8-9**	**12**	**13=3-12**
3	करौली	18	19	16	5	11	8	0		-8	18	
4	कोटा	107	112	123	10	113	-1	10	11		96	
5	सिरोही	70	73	58	4	54	19	5		-14	57	13
6	टोंक	98	102	81	7	74	28	15		-13	95	3
7	अजयमेरु	101	106	96	58	38	68	10		-58	99	2
8	बांसवाड़ा	84	87	74	12	62	25	5		-20	75	9
9	राजसमंद	49	50	62	0	62	-12	0	12		47	
10	हनुमानगढ़	146	153	112	30	82	71	36		-35	130	16
11	लोहागढ़	92	96	92	0	92	4	8	4		82	
12	अनूपगढ़	72	74	53	13	40	34	21		-13	66	6
13	सीकर	163	171	176	25	151	20	20	0		158	
14	डूंगरपुर	90	94	104	0	104	-10	0	10		87	
	कुल	**1302**	**1360**	**1294**	**209**	**1085**	**275**	**144**	**53**	**-183**	**1213**	**53**
वित्तीय वर्ष 2018-19												
1	जयपुर	137	144	116	4	112	32	46	14		128	
2	हिण्डौन	75	78	69	2	67	11	11			73	
3	करौली	18	19	15	0	15	4	4			18	
4	कोटा	105	110	103	6	97	13	23	10		99	
5	सिरोही	64	67	48	0	48	19	22	3		62	
6	टोंक	94	98	77	10	67	31	28		-3	95	
7	अजयमेरु	104	109	94	41	53	56	15		-41	96	8
8	बांसवाड़ा	81	84	80	0	80	4	15	11		76	
9	राजसमंद	47	48	48	0	48	0	10	10		44	
10	हनुमानगढ़	125	131	94	25	69	62	37		-25	120	5

क्र.सं	आगार एवं वर्ष	वर्ष के लिए नियोजित कुल अनुसूची	नियोजित अनुसूचियों को परिचालित करने के लिए बसों की आवश्यकता	निगम का बेड़ा			वर्ष के लिए किराए की बसों की आवश्यकता	किराए पर ली गई बसें	आधिक्य/कमी (-)		वास्तविक परिचालित अनुसूची	बसों की कमी के कारण कटौतीकी गई अनुसूची
				स्वयं का बेड़ा	आयु पार बेड़ा	निवल बेड़ा			आधिक्य	कमी (-)		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4-7	9	10=9-8	11=8-9	12	13=3-12
11	लोहागढ़	94	98	97	0	97	1	7	6		89	
12	अनूपगढ़	64	66	45	5	40	26	22		-4	63	1
13	सीकर	148	155	136	13	123	32	23		-9	145	3
14	डूंगरपुर	90	94	96	0	96	-2	19	21		79	
	कुल	**1246**	**1301**	**1118**	**106**	**1012**	**289**	**282**	**75**	**-82**	**1187**	**17**
2016-17		**1239**	**1293**	**1248**	**25**	**1223**	**70**	**31**	**21**	**-60**	**1172**	**38**
2017-18		**1302**	**1360**	**1294**	**209**	**1085**	**275**	**144**	**53**	**-183**	**1213**	**53**
2018-19		**1246**	**1301**	**1118**	**106**	**1012**	**289**	**282**	**75**	**-82**	**1187**	**17**

अनुबंध –15

(पृष्ठ संख्या 98 एवं 100 पर अनुच्छेद संख्या 4.15 एवं 4.15.3 में संदर्भित)

आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अंतर्गत सामग्री के क्रय हेतु निगम द्वारा पालन नहीं किये गये निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 4 यह प्रावधान करती है कि लोक प्रापण के संबंध में प्रापण करने वाली संस्था का यह उत्तरदायित्व एवं जवाबदेयता होगी की वह (ए) दक्षता, मितव्ययता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करे; (बी) बोलीदाताओं के साथ उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार करे; (सी) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे; एवं (डी) भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करे। तथापि, निगम ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया क्योंकि इसने ब्लू लाइन बसों को किराये पर लेने के लिए की गई मोलभाव वार्ता में एक व्यक्ति को तीन से पांच बोलीदाताओं की ओर से भाग लेने की अनुमति (जनवरी 2017) प्रदान की थी। इससे गुटबाजी के साथ-साथ एक अनैतिक प्रथा को भी बढ़ावा मिला।
आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 5 यह प्रावधान करती है कि क्रय करने वाली संस्था, प्रापण के प्रत्येक प्रकरण में सर्वप्रथम प्रापण की विषय-वस्तु की आवश्यकता का निर्धारण करेगी। तथापि, निगम ने इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि उसने संबंधित आगार की आवश्यकता निर्धारित किए बिना, यादृच्छिक आधार पर विभिन्न श्रेणी की बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित (सितंबर 2015 एवं दिसंबर 2016) की।
आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 में यह प्रावधान है कि: • एक प्रापण करने वाली संस्था, बोलीदाता के प्रापण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्हिता होने की आवश्यकताओं को निर्धारित एवं लागू कर सकती है। • प्रापण प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता के पास आवश्यक पेशेवर, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधन तथा प्रापण करने वाली संस्था द्वारा जारी बोली अभिलेखों, पूर्व-योग्यता अभिलेखों अथवा बोलीदाता के पंजीकरण अभिलेखों के अनुसार, जो भी लागू हो, के अनुसार आवश्यक अर्हता होनी चाहिए। • प्रापण संस्था इस खंड में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार ही बोलीदाताओं की अर्हता का मूल्यांकन करेगी। साथ ही, **आरटीपीपी नियम 2013 का नियम 36** यह प्रावधान करता है कि बोली प्रपत्रों में बोलीदाताओं की अर्हता के निर्धारण के संबंध में अपनाये जाने वाले मापदंड एवं प्रक्रिया तथा बोली के विस्तृत मूल्यांकन की प्रक्रिया सहित योग्यता एवं मूल्यांकन मापदंड सम्मिलित होने चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि • निगम ने ब्लू लाइन बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित (जुलाई 2014) की, जिसमें बोली अभिलेखों में कुछ तकनीकी एवं वित्तीय मापदंड विहित किये गए जैसे बोलीदाता का निवल मूल्य, एकल स्वामित्व के तहत न्यूनतम बेड़े की संख्या, मरम्मत एवं रखरखाव की व्यवस्था, पार्किंग का स्थान, यात्री परिवहन परिचालन का अनुभव इत्यादि। उच्च दरें प्राप्त होने पर, निगम ने पुनः निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2015) की, जिसमें यह सभी मापदंड हटा दिये गये एवं इस प्रकार, आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 36 के उल्लंघन में बोलीदाताओं की अर्हता हेतु तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता मापदंडों के बिना

पुनः निविदा की गई थी। इसी प्रकार, निगम ने बोली अभिलेखों में तकनीकी बोली मूल्यांकन मापदंड का उल्लेख किए बिना बसों की अन्य श्रेणियों (स्टार लाइन, शयनयान एवं लक्जरी बसों) को किराये पर लेने के लिए बोलियां (जुलाई एवं दिसंबर 2016) आमंत्रित की।

- आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 का अनुपालन नहीं किया गया था, क्योंकि निगम ने संघ के अंतर्गत ठेकेदार ब से तकनीकी बोली स्वीकार (जुलाई 2016) की, जो कम्पनी अधिनियम या समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था, जैसा कि 2016-17 के बोली अभिलेखों के तकनीकी योग्यता हेतु सामान्य शर्तों के वाक्यांश बी की तकनीकी अर्हता में उल्लेखित था।
- आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 39 एवं बोली अभिलेखों के नियम एवं शर्तों की अनुपालना नहीं की गई थी, क्योंकि निगम लग्जरी वोल्वो बसों को किराए पर लेने का अनुबंध ठेकेदार अ (एक संघ) के पक्ष में दे दिया (दिसंबर 2016) जबकि बोली ठेकेदार स द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2016) की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ठेकेदार स द्वारा बोली प्रस्तुत करने के पश्चात ठेकेदार अ को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर के यहां पंजीकृत (24 नवम्बर 2016) किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि फर्म द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से पंजीकरण कराने के पश्चात ही आशय पत्र जारी किया गया था। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं था कि बोली ठेकेदार अ द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 56 में यह प्रावधान है कि प्रापण संस्था द्वारा गठित बोली मूल्यांकन समिति, खोली गई बोलियों की प्रारंभिक जांच प्रथम दृष्टया प्रतिक्रिया का आंकलन एवं यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि (ए) बोली अभिलेखों में अनुसूचित आवश्कताओं के अनुसार बोली पर हस्ताक्षर किए गए हैं; (बी) बोली अभिलेखों में दिए गए निर्देशों के अनुसार बोली को मुहरबंद कर दिया गया है; (सी) बोली अभिलेखों में निर्दिष्टतानुसार अवधि के लिए बोली मान्य है; (डी) बोली सुरक्षा अथवा बोली सुरक्षा घोषणा के साथ है; (ई) बोली बिना शर्त है एवं बोलीदाता आवश्यक निष्पादन सुरक्षा राशि देने के लिए सहमत हो गया है; एवं (एफ) अन्य शर्तें, जो कि बोली अभिलेखों में निर्दिष्ट है, पूर्ण हो चुकी हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने नियम की अनुपालना नहीं की थी क्योंकि इसने ब्लू लाइन बसों के 49 बोलीदाताओं (59 बोलीदाताओं में से) एवं स्टार लाइन बसों के 42 बोलीदाताओं (43 बोलीदाताओं में से) से तकनीकी योग्यता के लिए 'प्रस्ताव के अनुरोध' (आरएफपी) के अनुसार आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये बिना ही वित्तीय बोली खोल (6 जनवरी 2017) ली एवं इन सभी बोलीदाताओं को अनुबंध (जनवरी 2017) प्रदान कर दिये गये।

आरटीपीपी नियम के नियम 75 में यह प्रावधान है कि इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकार (अनुसूचित बैंक के सावधि जमा रसीद (एफडीआर) सहित) में से किसी एक में निष्पादन सुरक्षा दी जाएगी। इस नियम के उप नियम (ई) ने यह प्रदान किया कि बोलीदाता के पेटे यह प्रापण इकाई के नाम पर होगी एवं बोलीदाता द्वारा अग्रिम में इसे मुक्त कर दिया जायेगा। प्रापण इकाई एफडीआर को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोलीदाता द्वारा बैंक का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रापण संस्था की मांग पर संबंधित बोलीदाता की सहमति के बिना एफडीआर का भुगतान/ समय से पूर्व भुगतान कर दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-17 के दौरान निगम ने आरटीपीपी नियमों के तहत आवश्यकतानुसार भुगतान/ समय से पूर्व भुगतान करने के लिए जारीकर्ता बैंक से शपथ पत्र प्राप्त किए बिना ही बोलीदाताओं से निष्पादन सुरक्षा को एफडीआर के रूप में स्वीकार किया।

अनुबंध-16

(पृष्ठ संख्या 105 पर अनुच्छेद संख्या 4.20 में संदर्भित)

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान बसों को किराये पर लेने में अनियमितताओं/कमी के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

किराये की बसों के आपूर्ति हेतु अनुचित समय विस्तार (2015-16)

निगम ने 400 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को किराये पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2015)। निगम को 18 बोलीदाताओं से 240 बसों के लिए बोली प्राप्त हुई (सितम्बर 2015) एवं तदनुसार, निगम द्वारा ₹ 7.11 प्रति किमी से ₹ 7.90 प्रति किमी तक की दरों पर समस्त 18 बोलीदाताओं को 240 बसों के लिए एलओआई जारी की गई थी (27 जनवरी 2016)। बोली प्रपत्रों में वित्तीय बोली के नियम एवं शर्तों के खंड III एवं IV में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि ठेकेदारों द्वारा सुपुर्द की जाने वाली बसों की बस बॉडी का निर्माण एआईएस052 का बस कोड मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले बस बॉडी निर्माताओं द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खण्ड VI के अनुसार एलओआई की तिथि से 120 दिनों के भीतर बसों को आपूर्ति कि जानी थी तथा बसों को निर्धारित अवधि के भीतर सुपुर्द नहीं की जाने की स्थिति में 15 दिन तक प्रति बस ₹ 1000 प्रति दिन की दर से एवं तत्पश्चात प्रति बस ₹ 1500 प्रतिदिन की दर से शास्ति लगाई जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात ठेकेदारों ने निर्धारित समय-सारणी से छः से 55 दिनों के विलम्ब से 105 बसें आपूर्ति की गई एवं निगम ने इन ठेकेदारों से ₹ 33.64 लाख की शास्ति वसूल की। तत्पश्चात, इन ठेकेदारों ने बस बॉडी निर्माताओं के पास एआईएस052 मान्यता प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के आधार पर समय के विस्तार के लिए अनुरोध किया (मई एवं जून 2016)। प्रकरण को प्रबंधन के समक्ष रखा गया था (मार्च 2017), जिसमें आपूर्ति की अवधि में 150 दिनों तक वृद्धि करने का निर्णय किया गया था (अप्रैल 2017)। संशोधित आपूर्ति अवधि पर विचार करने के पश्चात, दो ठेकेदारों से संबंधित केवल 17 बसों के लिए यथा एक ठेकेदार से संबंधित 15 बसों[8] एवं अन्य ठेकेदार से संबंधित दो बसों[9] के विलम्ब की गणना की गई एवं तदनुसार, वसूली योग्य राशि को मात्र ₹ 2.39 लाख तक कम कर दिया गया एवं शेष राशि ₹ 31.25 लाख वापस कर दी गयी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम इस प्रकरण पर निर्णय करने में तत्पर नहीं था क्योंकि 105 बसों के विलम्ब से प्राप्त होने के नौ महीने के पश्चात आपूर्ति समयसूची में विस्तार प्रदान किया गया था। साथ ही, समय विस्तार तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सात दोषी ठेकेदारों में से छह (एक ठेकेदार को छोड़कर जिसने निर्धारित अवधि में 5 बसों की आपूर्ति की थी) ने 100 बसों की आदेशित मात्रा के समक्ष निर्धारित अवधि के भीतर एक भी बस की आपूर्ति नहीं की थी, जबकि अन्य ग्यारह ठेकेदारों ने 130 बसों की पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति नियत समयावधि में कर दी थी। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता/ठेकेदार निविदा में भाग लेते समय इस नियम से अवगत थे कि बस बॉडी का निर्माण एआईएस052 मान्यता प्रमाणपत्र के अनुसार किया जाना है। इस प्रकार, दोषी आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित समय विस्तार प्रदान करने के कारण ₹ 31.25 लाख की शास्ति की कम वसूली हुई।

---

8 10 बसों के लिए पांच दिवस एवं 5 बसों के लिए 25 दिवस

9 प्रत्येक बस के लिए 18 दिवस

सरकार ने कहा कि एलओआई जारी करने की तिथि पर, आवश्यक मान्यता प्रमाण पत्र धारूहेडा, गुड़गांव में स्थित केवल एक बस बॉडी निर्माता के पास था। साथ ही, पांच बस बॉडी निर्माताओं को 31 मार्च 2016 को राजस्थान में यह प्रमाण पत्र मिला। इसलिए, अपरिहार्य कारणों, यथा अपेक्षित बस बॉडी निर्माताओं की अनुपलब्धता के कारण विलंब पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आपूर्ति समय में विस्तार प्रदान किया गया था। उत्तर आश्वासनीय नहीं था क्योंकि निगम एवं बोलीदाता दोनों निविदा आमंत्रण के समय बस बॉडी के निर्माण की अनिवार्य शर्त/मानक के संबंध में अवगत थे। साथ ही, निगम ने ऐसा कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था जो निर्धारित मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले बस बॉडी फैब्रिकेटर की अनुपलब्धता के इसके दावे का समर्थन करता हो।

बसों को किराये पर लेने में अनियमितताऐं (2016-17)

निगम ने 800 बसों (अर्थात 500 ब्लू लाइन बसों, 200 स्टार लाइन बसों एवं 100 शयनयान बसों) को किराये पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित (दिसम्बर 2016) की। निगम ने 741 बसों (अर्थात 500 ब्लू लाइन बसों, 205 स्टार लाइन बसों एवं 36 शयनयान बसों) के लिए सफल बोलीदाताओं/ठेकेदारों को आशय पत्र (एलओआई) जारी (जनवरी एवं फरवरी 2017) किये। एलओआई के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को एलओआई जारी होने से 120 दिनों की अवधि के भीतर आदेशित बसों की आपूर्ति करनी थी। इसके अतिरिक्त, लागू शास्ति के साथ और 30 दिनों तक आपूर्ति को स्वीकार किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से आठ ठेकेदारों ने निगम प्रबंधन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत (अप्रैल एवं मई 2017) किया तथा इस आधार पर कि भारत सरकार/राजस्थान सरकार ने बीएस III के वाहनों पर 1 अप्रैल 2017 से प्रतिबंध लगाने एवं बीएस IV वाहनों के चेसिस उपलब्ध नहीं होने एवं राज्य में एआईएस 052 के मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले निर्माताओं की सीमित संख्या होने के कारण आदेशित 248 बसों की आपूर्ति अवधि का विस्तार 17 मई 2017/15 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक करने के लिए निवेदन किया। इस परिदृश्य में, अभियांत्रिकी अनुभाग ने अवगत (मई 2017) कराया कि निगम द्वारा नियोजित अनुसूचियों से कम अनुसूचियों पर परिचालन करने के कारण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये, निगम में 4730 बसों (930 किराए पर बसों सहित) की संख्या पर्याप्त थी। तदनुसार, यातायात अनुभाग ने बीएस III वाहन उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण, बोली शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इन आठ ठेकेदारों को जारी 234 बसों की एलओआई को निरस्त (22 मई 2017) कर दिया। तत्पश्चात, संबंधित ठेकेदारों द्वारा अभ्यावेदन पर निगम ने उन 169 बसों के लिए एलओआई को पुर्नस्थापित (अक्टूबर 2017) किया जो आपूर्ति/अनुबंध की अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत थे, जिनको एलओआई निरस्त करने से पहले ही निष्पादित किया गया था।

इस संबंध में, निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- अक्टूबर, 2016 से मार्च 2019 (सितंबर एवं अक्टूबर 2018 के हड़ताल के महीनों के अतिरिक्त) के दौरान कुल परिचालित अनुसूचियों एवं उपयोग की गयी बसों की औसत संख्या क्रमशः 3747 व 4270 अनुसूचियां एवं 3736 व 4437 बसों के मध्य थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने पूर्व में ही आंकलित (3 अक्टूबर 2016) किराए पर ली गई बसों (500 ब्लू लाइन बसों सहित) की आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया क्योंकि अपनी प्रारंभिक आवश्यकता के आंकलन एवं किराए पर लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ (दिसंबर 2016) करने के पश्चात, निगम ने 500 नई ब्लू लाइन बसों के क्रय के लिए राजस्थान सरकार से अनुमोदन प्राप्त (जनवरी 2017) किया एवं प्रस्तावित क्रय के लिए ₹ 100 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण भी प्राप्त (फरवरी 2017) किया। इसके उपरान्त भी निगम ने पांच वर्षों की महत्वपूर्ण अवधि के लिए 800

बसों (500 ब्लू लाइन बसों सहित) को किराये पर लेने की प्रक्रिया जारी रखी। इस प्रकार, किराए पर बसों को लेने की आवश्यकता में कटौती न करने से निगम के पास अतिरिक्त बसों की उपलब्धता हुई, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि अक्टूबर 2016 से निगम के पास उपलब्ध बसों की संख्या (स्वामित्व + किराये पर) वास्तव में उपयोग की जाने वाली बसों की औसत संख्या से बहुत अधिक बनी हुई है।

- 234 एलओआई निरस्त करना दोषपूर्ण था क्योंकि यह अनुसूचित आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले किया गया था जिसके कारण निगम को एलओआई पुनर्स्थापित करने पड़े एवं बिना आवश्यकता के 169 बसों की आपूर्ति को स्वीकार करना पड़ा।
- शेष 65 बसों में से, निगम ने 27 अन्य बसों की एलओआई विलम्ब से पुर्नस्थापित (नवंबर 2017) कर दी एवं आपूर्ति में विलम्ब (अर्थात निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने तक) के लिए लागू शास्ति सहित आपूर्ति स्वीकार कर ली। यह इंगित करता था कि निगम प्रकरण पर निर्णय लेने में तत्पर एवं विवेकपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त, निगम ने शेष निरस्त 38 आशय पत्रों से संबंधित ₹ 19 लाख की बयाना जमा राशि को जब्त नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (मई 2020) कि 234 बसों की एलओआई, भारत सरकार द्वारा बीएस- III मॉडल की बसों पर प्रतिबंध लगाये जाने, राज्य में एआईएस052 मान्यता प्रमाणपत्र रखने वाले निर्माताओं की अनुउपलब्धता एवं बीएस- IV मॉडल की बसों की अनुपलब्धता को देखते हुए समिति द्वारा निरस्त की गई थी। तत्पश्चात संबंधित बोलीदाताओं से निविदा में वर्णित तिथि से पूर्व दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बसों की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होने पर 196 बसों की एलओआई पुर्नस्थापित की गई थी। तथापि, उत्तर आक्षेप में उजागर की गई कमियों पर मौन था।

दोषी ठेकेदार की प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अभाव

निगम एवं निजी बस मालिकों/ठेकेदारों के मध्य बसों को किराए पर लेने के लिए निष्पादित अनुबंध के वाक्यांश 22 के अनुसार संचालक अनुबंध अवधि के दौरान किराए पर लगाये गये वाहन का हस्तान्तरण/विक्रय नहीं कर सकेगा एवं ऐसी काई गतिविधि नहीं करेगा जो निगम के हित के विरूद्ध होगी। यदि संचालक इन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं निगम बकाया/प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है।

चयनित आगारों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने कोटा आगार में एक प्रकरण देखा, जहां एक ठेकेदार ने अनुबंध के नियमों व शर्तों के उल्लंघन में पूर्व सूचना एवं निगम की सहमति एवं अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना संविदा पर किराए पर लिए गए छह वाहनों को निगम को उपलब्ध (मई 2017 एवं जुलाई 2018) नहीं करवाया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित आगार ने यद्यपि इन बसों के लिए सभी छह करारों को निरस्त (जुलाई 2017 तथा अगस्त 2018) कर दिया, परन्तु इसने ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 18.38 लाख की प्रतिभूति जमा को सितम्बर 2019 तक जब्त नहीं किया था। साथ ही, निगम ने द्वारा 2014-19 के दौरान निरस्त किए गए अनुबंधों के साथ-साथ ऐसे ठेकेदारों से जब्त प्रतिभूति जमा के विवरण की सूचना प्रदान नहीं की थी।

उत्तर में सरकार ने कोटा आगार सहित चार आगारों द्वारा जब्त राशि का विवरण प्रदान किया। इसने आगे बताया कि निगम शेष आगारों से सूचना प्राप्त कर रहा है जो कि संकलित कर लेखापरीक्षा को प्रदान की जायेगी।

2016-17 के दौरान बसों को किराये पर लेने में अन्य अनियमितताएं

वर्ष 2016-17 के दौरान 800 बसों को किराये पर लेने के संबंध में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- निगम ने इच्छुक बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक के दौरान स्टार लाइन बसों के चेसिस की लंबाई में कारणों को दर्ज किए बिना कमी की अनुमति दी (दिसंबर 2016)। इससे बैठने के स्थान एवं इन बसों के यात्रियों के आराम में कमी आई।
- संबंधित निम्न अधिकार समिति द्वारा बनाया गया तुलनात्मक विवरण पत्र (जनवरी 2017) इसके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। साथ ही, वित्तीय बोलियों की प्रतियां भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में वित्तीय बोली की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी। समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
- 800 बसों को किराए पर लेने के लिए बोली प्रपत्र के अंतर्गत वित्तीय बोली के नियम एवं शर्तों के वाक्यांश 5 में प्रावधित था कि निगम के निरीक्षण दल द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन बस बॉडी का निरीक्षण दो चरणों (संरचना/अंतिम) में किया जाना था। तथापि, निगम ने ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन/अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जो इस बात की पुष्टि कर सके कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षित निरीक्षण किए गए थे। अपेक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में, निर्धारित मापदंडों/मानकों के अनुसार बसों की गुणवत्ता एवं डिजाइन का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में निरीक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- निगम किसी भी दुर्घटना या विवाद के मामले में किराए पर ली गयी बसों की स्पष्ट रूप से पहचान किये जाने एवं यात्रियों/कर्मियों/तृतीय पक्षकारों को देय नुकसान/क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराये जाने को सुनिश्चित नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि वाहनों को मार्ग विशेष के लिए तय नहीं किया गया है एवं किसी भी मार्ग पर परिचालित किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि अंतर्राज्यीय सेवाओं के लिए किए गए करारों के अनुसार किराए पर ली गई बसों का परिचालन अन्य राज्यों में नहीं किया जा सकता, अतः किराये पर ली गई बसों पर 'अनुबंधित' शब्द का उल्लेख नहीं है। उत्तर यह इंगित करता है कि निगम ने अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए किए गए करारों के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है। साथ ही, निगम को यात्रियों नागरिकों को दुर्घटना/विवाद के मामले में एक पक्ष बनाने की स्थिति में भुगतान करना होगा एवं तत्पश्चात ठेकेदार से राशि की वसूली के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

अनुबंध-17

(पृष्ठ संख्या 106 पर अनुच्छेद 4.22 में संदर्भित)

2014-19 के दौरान निजी बंस संचालक/ठेकेदार को अनुमत्य किया गया अतिरिक्त भुगतान/डीजल उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	आगार	अतिरिक्त डीजल उपभोग के लिए वसूली योग्य राशि	अधिक भुगतान के लिए वसूली योग्य राशि	कुल वसूली योग्य राशि
अ	**अनायिक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त डीजल**			
1	अजयमेरु	493813	0	493813
ब	**प्रचलित बाजार दरों की से कम दरों पर अधिक डीजल उपभोग की वसूली**			
2	सिरोही	93203	0	93203
स	**द्वित्तीय बार यंत्रदोष के लिए अतिरिक्त डीजल / भुगतान**			
3	सीकर	1443000	364000	1807000
4	लोहागढ़	33000	0	33000
5	हनुमानगढ़	117000	68000	185000
6	डूंगरपुर	17000	0	17000
7	बांसवाड़ा	30888	21148	52036
8	कोटा	18047	0	18047
9	हिण्डौन	33356	0	33356
10	करौली	0	8313	8313
11	टोंक	101285	69346	170631
	कुल	**2380592**	**530807**	**2911399**

अनुबंध-18

(पृष्ठ संख्या 109 पर अनुच्छेद 4.25 में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 के दौरान बसों की वाहन उत्पादकता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	वाहन उत्पादकता (किमी प्रति दिन)			
	सकल रूप से निगम			
	स्वयं के वाहन	किराए के वाहन	कुल औसत	चयनित 15 आगारों में स्वयं के वाहन
2014-15	390	539	397	314-531
2015-16	396	541	402	309-495
2016-17	381	520	393	314-493
2017-18	361	497	388	288-524
2018-19 (अनंतिम)	363	486	392	208-455

अनुबंध-19

(पृष्ठ संख्या 123 पर अनुच्छेद 5.1.3 में संदर्भित)

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29, 30, 31 एवं 32-जी के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

धारा 29 चूक के प्रकरण में वित्त निगम के अधिकार

(1) जहां कोई औद्योगिक इकाई, जो कि एक अनुबन्ध के अंतर्गत वित्त निगम के प्रति उत्तरदायी है, किसी ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसकी कोई किश्त के पुनर्भुगतान में चूक करने पर अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में इसके दायित्वों का निर्वहन करने में अथवा वित्त निगम के साथ हुये इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर, वित्त निगम को औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन अपने हाथ में लेने अथवा अधिग्रहण अथवा दोनों के अधिकार के साथ ही साथ लीज अथवा विक्रय द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार एवं वित्त निगम को रेहन, गिरवी, बन्धक अथवा सुपुर्द की गई सम्पत्ति से वसूली का अधिकार है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वित्त निगम द्वारा किये गये सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण से हस्तान्तरित सम्पत्ति के सभी अधिकार हस्तान्तरिती में उसी प्रकार निहित होंगे जैसे कि उक्त सम्पत्ति स्वामी द्वारा हस्तान्तरित की गई हो।

(3) वित्त निगम को इसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखे गये माल से, निर्मित अथवा पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादित माल के सम्बन्ध में वही अधिकार व शक्तियाँ होगी, जैसा कि यह मूल माल के सम्बन्ध में रखता था।

(4) जहां उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी औद्योगिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, सभी लागतें, प्रभार एवं व्यय, जो कि उस तक प्रासंगिक रूप में, वित्त निगम की राय में इसके द्वारा उचित रूप से किये गये हों, औद्यौगिक इकाई से वसूलनीय होंगे एवं राशि जो कि इसके द्वारा प्राप्त की गई हो, किसी संविदा की प्रतिकूलता के अभाव में, इसके द्वारा सद्-विश्वास में रखी जायेगी जो कि प्रथमतः ऐसी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के भुगतान में, एवं द्वितीय वित्त निगम को देय ऋण के निस्तारण में, एवं ऐसी प्राप्त राशि का शेष इसके हकदार व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा।

(5) जहां वित्त निगम उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत एक औद्योगिक इकाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वित्त निगम इकाई द्वारा अथवा इसके विरुद्ध मुकदमे के उद्देश्य हेतु ऐसी इकाई का स्वामी होगा, एवं इकाई के नाम से मुकदमा कर सकेगा तथा इस पर मुकदमा किया जा सकेगा।

धारा 30 नियत अवधि से पूर्व पुनर्भुगतान मांगे जाने की शक्ति

किसी अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल प्रावधान होने के उपरान्त भी, वित्त निगम लिखित में नोटिस द्वारा, किसी औद्योगिक इकाई को, जिसे इसने ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है, वित्त निगम के प्रति इसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से तुरन्त निस्तारण करने हेतु कह सकता है,

(ए) यदि मण्डल को यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा, इसके ऋण अथवा अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र में, किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्रदान की गई है; अथवा

(बी) यदि औद्योगिक इकाई, वित्त निगम के साथ ऋण अथवा अग्रिम के संबंध में, इसकी संविदा की शर्तों की अनुपालना में असफल रहती है; अथवा

(सी) यदि इस बात की तर्कसंगत आशंका है कि औद्योगिक इकाई इसके ऋणों के भुगतान में असमर्थ है अथवा उसके समापान की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है; अथवा

(डी) यदि वित्त निगम को ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन, गिरवी, बन्धक अथवा सुपुर्द की गई सम्पत्ति का बीमा नहीं है एवं वित्त निगम की सन्तुष्टि तक औद्योगिक इकाई द्वारा बीमित नहीं रखी गई है अथवा इस सीमा तक मूल्य में ह्रास हुआ है कि मण्डल की राय में, मण्डल की सन्तुष्टि हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान की जानी हो एवं ऐसी प्रतिभूति नहीं दी गई हो; अथवा

(ई) यदि, मण्डल की अनुमति के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र अथवा अन्य उपकरण, जो प्रतिभूति अथवा अन्यथा के भाग के रूप में हों, बिना पुर्नस्थापना के औद्योगिक इकाई के परिसर से हटा दिये गये हों; अथवा

(एफ) यदि किसी कारण से, वित्त निगम के हितों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक हो।

धारा 31 वित्त निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रावधान

जहां एक औद्योगिक इकाई, किसी अनुबन्ध के उल्लंधन में, किसी ऋण अथवा अग्रिम अथवा इसकी किसी किश्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करती है अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में दायित्वों का निर्वहन करने में अथवा वित्त निगम के साथ इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर अथवा जहां वित्त निगम ने धारा 30 के अंतर्गत औद्योगिक इकाई को किसी ऋण अथवा अग्रिम के तुरन्त पुनर्भुगतान करने हेतु कहा हो एवं औद्योगिक इकाई ऐसा पुनर्भुगतान करने में असफल रही हो, तब इस अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों एवं सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 के प्रावधानों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा सामान्यतः अथवा विशेष रूप से अधिकृत वित्त निगम का कोई अधिकारी, जिला न्यायाधीश, जिसके अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर औद्योगिक इकाई इसके व्यवसाय का सम्पूर्ण अथवा सारभूत भाग संचालित करती है, के पास निम्नानुसार एक अथवा अधिक राहतों हेतु आवेदन कर सकता है;

(ए) ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में, वित्त निगम के पास रेहन, गिरवी, बन्धक अथवा सुर्पुद की गई सम्पत्ति के विक्रय के लिये आदेश हेतु; अथवा

(एए) किसी प्रतिभू के दायित्व के प्रवर्तन हेतु; अथवा

(बी) औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन वित्त निगम को हस्तान्तरित करने हेतु; अथवा

(सी) औद्योगिक इकाई को इसकी मशीनरी अथवा संयंत्र अथवा उपकरण मण्डल की अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई के परिसर से हस्तान्तरित करने अथवा हटाने से प्रतिबन्धित करने हेतु अन्तरिम आदेश हेतु, जहां इसे हटाये जाने की आशंका हो।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किये जाने वाले आवेदन में, वित्त निगम के प्रति औद्योगिक इकाई के दायित्व की प्रकृति एवं सीमा, आवेदन पत्र का आधार एवं अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे।

धारा 32जी वित्त निगम को देय राशि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली

जहां वित्त निगम द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को प्रदत्त सहायता के सम्बन्ध में इसको कोई राशि देय है, वित्त निगम अथवा इसके द्वारा, इस सम्बन्ध में लिखित में, अधिकृत कोई व्यक्ति, वसूली के किसी अन्य तरीके पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना इसको देय राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा, एवं यदि राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया हो, ऐसी निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात सन्तुष्ट है तो इस प्रकार देय राशि हेतु यह जिलाधीश को एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा एवं जिलाधीश उस राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने हेतु कार्यवाही करेगा।

अनुबंध-20

(पृष्ठ संख्या 136 पर अनुच्छेद 5.1.15 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को निगम के कब्जे में स्थित ऋणी इकाइयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या	शाखा कार्यालय	कब्जे की तिथि	बकाया देय				
				अदेय मूलधन	देय मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल
1	2505010688	जयपुर (दक्षिण)	15 सितम्बर 2011	0.00	1.21	0.06	0.07	1.34
2	2705194489 **(सीआरई क्षेत्र)**	जयपुर (दक्षिण)	15 जनवरी 2010	0.00	9.00	43.78	0.71	53.49
3	3205953679 **(सीआरई क्षेत्र)**	भिवाड़ी	2 फरवरी 2016	0.00	6.78	7.27	0.05	14.10
4	2705195365 एवं 2705195367	जयपुर (केन्द्रीय)	8 जुलाई 2015	0.03	0.87	1.26	0.00	2.16
5	0605061149 एवं 0605011150	भीलवाड़ा	2 नवम्बर 1987	0.00	0.11	0.13	0.04	0.28
6	2205017031	सीकर	5 अक्टूबर 1988	0.00	0.02	0.03	0.01	0.06
7	0205010188	अलवर	6 अक्टूबर 1988	0.00	0.07	0.23	0.01	0.31
8	0105016222 एवं 0105016269	किशनगढ़	20 अक्टूबर 1999	0.00	0.01	0.03	0.12	0.16
9	2705192835 **(सीआरई क्षेत्र)**	जयपुर (केन्द्रीय)	28 नवम्बर 2016	0.00	5.28	3.94	0.04	9.26
10	3005610915	जयपुर (उत्तर)	12 मार्च 2015	0.00	0.03	0.00	0.04	0.07
11	0605012892, 0605192887, 0605192888, 0605192889, 0605612886 एवं 0605612890	भीलवाड़ा	11 अप्रैल 2008	0.00	4.78	1.78	0.83	7.39
12	0305013480	बांसवाड़ा	18 नवम्बर 1997	0.00	0.08	0.00	0.02	0.10
13	3205014907 एवं 3205014898	भिवाड़ी	18 दिसम्बर 2003	0.00	0.82	0.42	0.13	1.37
14	2605016748 एवं 2605016764	उदयपुर	28 जनवरी 2004	0.00	0.08	0.15	0.00	0.23
15	1705017999	जोधपुर	21 जून 2005	0.00	0.09	0.23	0.13	0.45
16	3005157221 एवं 3005017219	जयपुर(केन्द्रीय)	20 अप्रैल 2006	0.09	0.41	0.29	0.17	0.96
17	3605017373 एवं 3605017379	हनुमानगढ़	1 मार्च 2008	0.00	0.06	0.04	0.00	0.10
18	2705197314 **(सीआरई क्षेत्र)**	जयपुर (दक्षिण)	23 फरवरी 2010	1.27	1.13	10.95	0.17	13.52
19	2705010302 **(सीआरई क्षेत्र)**	जयपुर(केन्द्रीय)	23 मार्च 2010	0.00	7.26	34.65	0.20	42.11
20	3205011219	भिवाड़ी	15 नवम्बर 2010	0.00	0.02	0.12	0.06	0.20
21	2505016243	जयपुर (दक्षिण)	5 जनवरी 1993	0.00	0.05	0.03	0.01	0.09

क्र. सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या	शाखा कार्यालय	कब्जे की तिथि	बकाया देय				
				अदेय मूलधन	देय मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल
22	1405017042	पाली	11 जनवरी 2007	0.00	0.07	0.33	0.05	0.45
23	0505013823	भरतपुर	29 जून 2018	0.00	0.10	0.49	0.02	0.61
24	4005013024, 4005953028, 4005213032 एवं 4005353030	दौसा	20 अगस्त 2018	0.07	0.02	0.02	0.00	0.11
25	4005148837 एवं 4005158838	दौसा	14 अगस्त 2018	0.00	0.05	0.04	0.00	0.09
26	205211506	अलवर	26 दिसम्बर 2018	0.62	0.06	0.05	0.00	0.73
27	2105210720	सवाई माधोपुर	5 मार्च 2019	0.08	0.03	0.02	0.00	0.13
28	4305218772	किशनगढ़	26 मार्च 2019	0.00	0.33	0.09	0.00	0.42
	कुल			**2.16**	**38.82**	**106.43**	**2.88**	**150.29**

अनुबंध-21

(पृष्ठ संख्या 139 पर अनुच्छेद 5.1.18 में सन्दर्भित)

चूक करने वाले ऋणियों को बारम्बार अवसर प्रदान करने से ऋणों की वसूली में बाधा के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 4605015611)

निगम ने ऋणी को ₹ 30 लाख का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 1991)। ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के कारण, निगम ने अप्रैल 2002 एवं अप्रैल 2005 में ऋण को पुनर्निर्धारित किया परन्तु ऋणी ने संशोधित समय सूची का भी पालन नहीं किया था। निगम ने इकाई को अपने कब्जे में ले लिया (सितंबर 2006), परन्तु बिना किसी नीलामी के इसे ऋणी को वापस सौंप दिया गया (अक्टूबर 2006)। बाद में, निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत ऋणी को एक कानूनी नोटिस जारी किया (जुलाई 2014), परन्तु ऋणी ने अपेक्षित बकाया राशि जमा नहीं की थी। निगम ने विलम्ब से इकाई को कब्जे में ले लिया (मार्च 2015) परन्तु इकाई को किसी बकाया राशि को जमा किये बिना उसी समय ऋणी को वापस सौंप दिया गया था। एक अन्य कानूनी नोटिस जारी (अगस्त 2016) करने के पश्चात, ऋणी ने राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के समक्ष निपटारे के लिए प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया (नवंबर 2016)। तदनुसार, प्रकरण एसएलसी द्वारा निपटारे के लिए दर्ज किया गया था, तथापि, प्रकरण का निपटारा प्रतीक्षित है। मार्च 2019 तक ऋणी की कुल बकाया राशि ₹ 90.31 लाख[10] थी। इकाई से संबंधित प्राथमिक प्रतिभूति के एमआरवी का आंकलन (मार्च 2018) ₹ 112.36 लाख[11] था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने ऋणी को निरंतर चूक के उपरान्त भी ऋण चुकाने के कई अवसर प्रदान किए। इसके परिणामस्वरूप, निगम ऋण प्रदान करने से 26 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी ऋण की वसूली नहीं कर सका। साथ ही, निगम निपटारे के लिए इसके पंजीकरण से ढ़ाई वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रकरण का निपटान नहीं कर सका। यह इंगित करता है कि निगम चूककर्ता ऋणी के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही करके अथवा एसएलसी के माध्यम से बकाया ऋण बकाया का निपटान करके अपने बकाया की वसूली के लिए तत्पर नहीं था।

निगम ने तथ्यों (मई 2019) को स्वीकार करते हुए कहा कि निगम के मुख्यालय स्तर पर जारी निर्देशों के कारण इकाई को दो बार अपने कब्जे में लेने के उपरान्त भी नीलामी में नहीं लगाया जा सका। ऋणी ऋण खाते का निपटान करने का इच्छुक नहीं है तथा सभी संभावित लाभ अनुमत करते हुए खाते का पुनर्निर्धारण करने के उपरान्त भी बकाया के पुनर्भुगतान के लिए भी सहमत नहीं हुआ। तत्पश्चात, सरकार ने कहा (नवंबर 2019) कि प्रकरण ऋण के निपटान के लिए एसएलसी के समक्ष रखा जाएगा।

तथ्य यही रहा कि निगम ने न केवल इकाई के कब्जा वापस देते समय ऋणी के निरंतर चूक को अनदेखा किया, बल्कि बकाया की वसूली के लिए त्वरित कार्यवाही का भी अभाव था। इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली आदिनांक नहीं हो पायी।

(शाखा कार्यालय, भिवाड़ी)

10 अतिदेय मूलधनः ₹ 15.09 लाख + नियमित ब्याजः ₹ 17.18 लाख + अतिदेय एवं शास्ति ब्याजः ₹ 58 लाख + अन्य राशिः ₹ 0.04 लाख।

11 भूमिः ₹ 86.25 लाख + भवनः ₹ 24.75 लाख + संयंत्र एवं मशीनरीः ₹ 1.36 लाख।

ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 2305014247)

निगम ने ऋणी को ₹ 10 लाख एवं ₹ 18.90 लाख के दो ऋण क्रमशः 1998 एवं 1999 के दौरान स्वीकृत किए थे। बकाए के पुनर्भुगतान में चूक करने पर, प्रकरण मुख्यालय स्तर की समिति (एचओएलसी) के समक्ष निपटारे के लिए रखा गया था (अक्टूबर 2005), जिसमें शास्ति ब्याज की माफी को निरस्त कर दिया गया एवं यह देखते हुए कि ऋणी की ऋण चुकाने में कोई रूचि नहीं थी तथा इकाई की एमआरवी बकाया के लगभग दोगुना थी, इसलिये एसएफसी अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, निगम ने इकाई को कब्जे में नहीं लिया एवं ऋणी को नवम्बर 2005 से फरवरी 2010 तक कई अवसर जैसे शास्ति ब्याज की छूट, बकाया के भुगतान के लिए समय विस्तार प्रदान करना, बकाया का निपटान आदि प्रदान किये परन्तु ऋणी ने इनका अनुसरण नहीं किया था एवं इसने इकाई के निगम द्वारा अधिग्रहण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यायालय) से स्थगन प्राप्त किया (मार्च 2010)। निगम ने स्थगन को हटवाने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसने इसे आगे राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यायालय) के मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। मध्यस्थता केंद्र ने निगम को निर्देश (25 फरवरी 2015) प्रदान किया कि वह प्रकरण का अपनी निपटान समिति के माध्यम से निपटारे के लिए विचार करे एवं 18 मार्च 2015 तक निर्णय की सूचना प्रदान करे। निगम की राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) ने प्रकरण को निपटारे का निर्णय किया (26 फरवरी 2016)। प्रकरण के निपटारे का निर्णय करने से पूर्व ही, मध्यस्थता केंद्र ने प्रकरण को आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय को वापस कर दिया था। मार्च 2019 तक ऋणी से वसूलनीय कुल बकाया की गणना ₹ 62.21 लाख थी। यह प्रकरण अभी भी न्यायालय में लंबित है एवं न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण वसूली की कार्यवाही रुकी हुई है। (जून 2019)

लेखापरीक्षा ने देखा कि एचओएलसी द्वारा निपटारे से मना करने के उपरान्त भी, निगम ने ऋणी के विरुद्ध एसएफसी अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की थी एवं बकाया जमा करने के लिए इसे बार-बार अवसर प्रदान किये। अपेक्षित वसूली कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब की परिणीति वसूली पर स्थगन एवं प्रकरण में अनावश्यक कानूनी कार्यवाही के रूप में हुई। साथ ही, निगम मध्यस्थता केंद्र द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर प्रकरण का निर्णय नहीं कर सका जिसके कारण कानूनी कार्यवाही जारी रही एवं बकाया की वसूली में और अधिक विलम्ब हुआ। निगम नौ वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्थगन को नहीं हटवा सका था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि यह प्रकरण अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। तथापि, उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों पर मौन था।

(शाखा कार्यालय, आबू रोड़)

ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 2705193167 व 2705193168)

निगम ने ऋणी को सम्पत्ति के समक्ष वित्त योजना (एफएएएस) के अंतर्गत ₹ 70 लाख एवं ₹ 87 लाख के दो ऋण स्वीकृत किए (सितंबर 2009 एवं सितंबर 2011)। ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक पर, निगम ने इकाई के अधिग्रहण के लिए ऋणी को एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक कानूनी नोटिस जारी किया था (दिसंबर 2011), परन्तु ऋणी द्वारा अतिदेय ब्याज की राशि जमा कराने के कारण ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, एवं मार्च 2012 में ऋण पुनर्निर्धारित कर दिया गया था। ऋणी ने पुनर्भुगतान की संशोधित समय सारणी का पालन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, निगम द्वारा इकाई को जुलाई 2015 में अधिग्रहित कर लिया गया था। ऋणी द्वारा छह महीने की अवधि में अतिदेय राशि को समाप्त करने के आश्वासन पर, निगम ने इकाई को ऋणी को वापस सौंप दिया था। तथापि, ऋणी ने आश्वासन का पालन नहीं किया था। इसके

उपरान्त भी, निगम ने मार्च 2017 में ऋण को पुनर्निर्धारित किया जिसका ऋणी द्वारा फिर से अनुपालन नहीं किया गया था। मार्च 2019 तक ऋणी के कुल अतिदेय की राशि ₹ 38.07 लाख थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनर्भुगतान में लगातार चूक के उपरान्त भी, निगम ने ऋणी के विरुद्ध एसएफसी अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत कार्यवाही करके बकाये की वसूली सुनिश्चित नहीं की थी। ऋणी द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की संशोधित समयसारणी की अनुपालन नहीं करने के उपरान्त भी, निगम केवल नोटिस जारी करता रहा एवं ऋणी को आगे अवसर प्रदान करता रहा एवं जून 2019 तक इस प्रकरण में वसूली नहीं की जा सकी थी।

सरकार ने कहा कि निगम ने ऋणी को एक कानूनी नोटिस जारी किया था (जून 2019) एवं उसके पश्चात, ऋणी ने अनौपचारिक पुनर्निर्धारण के अनुसार अतिदेय के पेटे ₹ 4.20 लाख जमा (जुलाई एवं अगस्त 2019) किए थे।

उत्तर आश्वासनीय नहीं था क्योंकि निगम ने न तो ऋणी के साथ सहमत अनौपचारिक पुनर्निर्धारण के विवरण को स्पष्ट किया एवं न ही जमा राशि के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत किये थे।

(शाखा कार्यालय, जयपुर (केन्द्रीय))

अनुबंध-22

(पृष्ठ संख्या 142 पर अनुच्छेद 5.1.22 में संदर्भित)

समपार्श्विक प्रतिभूतियों की उपलब्धता के उपरान्त भी बकाया की वसूली सुनिश्चित नहीं किये जाने वाले चार ऋण प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या एवं संबंधित शाखा कार्यालय.का नाम	31 मार्च 2019 को देय बकाया	राजस्व अधिकारियों के पास आरओडी दर्ज करने की तिथि/माह	टिप्पणी
1.	ऋण खाता संख्याः 2305011834 व 2305011835 (शाखा कार्यालय, आबू रोड)	0.25	अभी तक दर्ज नहीं की गयी	लेखापरीक्षा ने देखा कि समपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध होने के उपरान्त भी, निगम ने इस प्रकरण में राजस्व प्राधिकारी के पास आरओडी दायर नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निगम के एक दल ने प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए दौरा किया (8 नवंबर 2009) परन्तु यह उपरोक्त का पता नहीं लगा सके। परिणामस्वरूप, जून 2019 तक वसूली नहीं की जा सकी थी।
2.	ऋण खाता संख्याः 1605010730 (शाखा कार्यालय, झुंझुनू)	0.45	03 दिसम्बर 2009	निगम के एक दल ने प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए गुड़गांव का दौरा किया (11 सितंबर 2009, 15 अप्रैल 2010 एवं 22 जून 2010), परन्तु उनका पता नहीं लगाया जा सका। प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूति/विवरणों की पहचान नहीं होने के कारण, राजस्व प्राधिकारी ने दिसंबर 2011 में आरओडी वापस कर दी गई थी। विलम्ब से, निगम की एक अन्य टीम ने समपार्श्विक प्रतिभूति/प्रवर्तक/ जमानतदारों का पता लगाने के लिए दौरा किया था, परन्तु इस बार भी उनकी पहचान नहीं की जा सकी। इस प्रकार, प्रकरण में मूल आरओडी दाखिल करने से नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी कोई प्रगति नहीं हुई थी।
3.	ऋण खाता संख्याः 1605011460 (शाखा कार्यालय, झुंझुनू)	0.18	जून, 2005 एवं अगस्त, 2007	प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए निगम के एक दल ने दौरा किया (अगस्त 2010) परन्तु उसका पता नहीं लगा सका। तत्पश्चात, समपार्श्विक प्रतिभूति/प्रवर्तक/जमानतदार का पता लगाने के कोई भी प्रयास अभिलेखों में नहीं पाये गये थे। यह भी देखा गया था कि प्रवर्तकों/ जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूति/विवरण की पहचान नहीं होने के कारण, राजस्व प्राधिकारी ने अप्रैल 2011 में आरओडी वापस कर दी थी।
4.	ऋण खाता संख्याः 2305012675 (शाखा कार्यालय, आबू रोड)	0.14	10 अक्टूबर 2007	प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए निगम के एक दल ने दौरा किया (7 नवंबर 2009), परन्तु इसका पता नहीं लगा सका। अपेक्षित विवरणों के अभाव में, आरओडी राजकोट के राजस्व प्राधिकारियों के पास लंबित थी एवं प्रकरण में आरओडी दाखिल करने से 11 वर्ष से अधिक समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वसूली नहीं हो सकी थी।
	कुल	**1.02**		

अनुबंध-23

(पृष्ठ संख्या 153 पर अनुच्छेद 5.2.6 में संदर्भित)

ठेकेदार अ द्वारा लंबित कार्यो का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	लंबित कार्यो का विवरण
मैकेनिकल	
1.	बायलर हाई प्रेशर हीटर इंसुलेशन बैलेंस
2.	वाटर सर्कुलेशन सिस्टम - वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट इंस्टालेशन बैलेंस
3.	वाष्प रिकवरी सिस्टम
4.	इवोपॉरेटर से लाइव स्टीम कनेक्शन बैलेंस
5.	थर्ड अविलबिलिटी बेस्ड टैरिफ (एबीटी) मीटर अलाइड इक्विपमेंट जैसे की करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) पावर ट्रांसफार्मर (पीटी) आइसोलेटर इत्यादि की आपूर्ति, स्थापना एवं प्रारम्भ।
बॉयलिंग हाउस इंस्ट्रूमेंटेशन	
6.	बॉयलिंग हाउस कण्ट्रोल रूम इन-आउट पैनल फरलिंग
7.	शील्ड एंड पावर अर्थिंग
8.	कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्टेड फ्रॉम डेक कण्ट्रोल सिस्टम (डीसीएस) पैनल टू अर्थिंग पिट
9.	अर्थिंग नॉट कनेक्टेड टू आल इंस्ट्रूमेंट यूज़्ड इन बोइलिंग हाउस
10.	मोलासेस वेईंग हॉपर सिस्टम
मिल हाउस इंस्ट्रूमेंटेशन	
11.	शील्ड एंड पावर अर्थिंग
12.	कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्टेड फ्रॉम डीसीएस पैनल टू अर्थिंग पिट
बायलर एंड टरबाइन एरिया इंस्ट्रूमेंटेशन	
13.	सेकेंडरी फैन (एसए फैन) सक्शन एंड डिस्चार्ज पावर सिलिंडर इरेक्शन एंड कमीशनिंग वर्क
14.	फोर्स्ड ड्राफ्ट (एफडी) फैन पावर सिलेण्डर इरेक्शन एंड कमीशनिंग वर्क
15.	रिवर्स ओसमोसिस (आरओ) एंड डेमिनरलीजेशन (डीएम) प्लांट ऑपरेशन एंड कण्ट्रोल थ्रू बायलर डीसीएस सिस्टम
16.	डीएम स्टोरेज टैंक लेवल ट्रांसमीटर

17.	एनर्जी मीटर फॉर पावर जनरेशन एंड कन्जम्पशन रिपोर्ट
18.	शील्ड एंड पावर अर्थिंग पिट नीड्स टू बी सेपरेट एंड कॉपर स्ट्रिप लेइंग फ्रॉम पिट टू डीसीएस पैनल ऑफ टरबाइन एंड बायलर सेक्शन
19.	एयर ड्रायर फॉर शुगर एयर कंप्रेसर
20.	एननशिएटर विथ इलेक्ट्रॉनिक हूटर

अनुबंध -24

(पृष्ठ संख्या 180 पर अनुच्छेद 5.5 में संदर्भित)

वर्ष 2012-19 के दौरान जेआरपी खान से रॉक फॉस्फेट के खनन हेतु चार ठेकों में डीजल के उपभोग पर अतिरिक्त लागत (सेवा कर के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक की संख्या (खान का नाम)	ठेका प्रदान करने की तिथि	उत्खनित मात्रा (लाख बीसीएम में)	डीजल उपभोग के मानक (प्रति बीसीएम लीटर)	डीजल उपभोग की मात्रा (लाख लीटर में)	डीजल पर वहन की गई अतिरिक्त लागत (₹ करोड़ में)	सेवा कर की प्रचलित दरों[12] पर अतिरिक्त सेवा कर (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9
ए	**2012-16**							
1	ठेकेदार अ	ए एवं बी	5 दिसम्बर 2012	38.78	1.10	42.66	2.38	0.31[13]
		सी एवं डी		28.01	1.21	33.89	1.64	0.21[14]
		ई एवं एफ		38.81	1.07	41.53	1.92	0.26[15]
	कुल (ए)			**105.60**		**118.08**	**5.94**	**0.78**
बी	**2016-19**							
2	ठेकेदार स	ए विस्तार, ए एवं बी (पश्चिमी खान)	3 नवम्बर 2016	38.94	1.05	40.89	2.47	0.37
3	ठेकेदार ब	सी, डी एवं ई (मध्य खान)	20 मई 2016	94.86	1.21	114.78	7.47	1.12
4	ठेकेदार ब	एफ एवं जी (पूर्वी खान)	1 जुलाई 2016	49.03	1.04	50.99	3.51	0.53
	कुल (बी)			**182.83**		**206.66**	**13.45**	**2.02**
	कुल योग (ए+बी)			**288.43**		**324.74**	**19.39**	**2.80**

12 सेवा कर की प्रचलित दर 31 मई 2015 तक, 1 जून 2015 से 14 नवम्बर 2015, 15 नवम्बर 2015 से 31 मई 2016 एवं 1 जून 2016 से क्रमशः 12.36 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 14.50 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत थी।

13 ₹ 1.42 करोड़ का 12.36 प्रतिशत, ₹ 0.34 करोड़ का 14 प्रतिशत एवं ₹ 0.62 करोड़ का 14.50 प्रतिशत।

14 ₹ 1.08 करोड़ का 12.36 प्रतिशत, ₹ 0.38 करोड़ का 14 प्रतिशत एवं ₹ 0.18 करोड़ का 14.50 प्रतिशत।

15 ₹ 1.00 करोड़ का 12.36 प्रतिशत, ₹ 0.43 करोड़ का 14 प्रतिशत एवं ₹ 0.49 करोड़ का 14.50 प्रतिशत।